पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर पण्डरेऊ टिब्बा

अनुवान आदराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –205.../2025

निर्णय दिनांक ...27.06.25.........

आदराम पुत्र मंगला राम जाति मेघवाल निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर पण्डरेऊ टिब्बा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 9 खसरा नं. 355/318 तादादी 3.1486 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम पण्डरेऊ टिब्बा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम आदु पुत्र मंगला दर्ज है जो कि गलत है सही नाम आदराम पुत्र मंगला राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का व भू. अ. नि. ने प्रार्थी का नाम आदराम पुत्र मंगला राम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम कृषिभूमि रोही ग्राम पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर के खाता संख्या 9 खसरा नं. 355/318 तादादी 3.1486 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम आदु पुत्र मंगला Delete कर इसके स्थान पर आदराम पुत्र मंगला राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .27.06.25......... को कैम्प कोर्ट पण्डरेऊ टिब्बा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)